भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1365

उत्तर देने की तारीख 25.11.2019

दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में जनजातीय उप-योजना

1365. श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकरः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में राज्यों के सभी जिलों में जनजातीय उप-योजना को लागू किया जा रहा है;

(ख) क्या इसे दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) में कार्यान्वित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इसे उक्त संघ राज्यक्षेत्र में कार्यान्वित किए जाने की योजना है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) : वर्ष 2014 में पूर्व में योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, जनजातीय कल्याण के विभाग प्रभारी, जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) विकास की प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए अधिकृत नोडल विभाग होंगे। टीएसपी के तहत निधियों को जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अजजा की जनसंख्या अनुपात से कम नहीं और अजजा जनसंख्या की समस्याओं के अनुरूप कुल राज्य योजना परिव्ययों से निधियां निर्धारित की जानी है। टीएसपी के गठन में , राज्य / संघ राज्य क्षेत्र निम्नानुसार आगे बढ़ेंगे :

i) टीएसपी को जिला स्तर पर जिला योजना और संचालक समिति (डीपीएमसी) द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

ii) डीपीएमसी को स्कीमों/कार्यक्रमों की वास्तविक माँग को प्रदर्शित करना चाहिए , जो अजजा को लाभान्वित करने के लिए हैं , जो उनके स्थानीयकरण और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के इक्विटी पहलू को प्राथमिकता देती हैं।

iii) वार्षिक योजना को जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि इसे सर्वोच्च पीआरआई की स्वीकृति प्राप्त हो सके।

iv) क्षेत्र-उन्मुख योजनाओं के मामले में , अजजा पर्यावासियों को शामिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला स्तर के दृष्टिकोण के तहत व्यापक रूप से एक ब्लॉक स्तर का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

v) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) / जिला स्तर पर टीएसपी को राज्य टीएसपी के गठन और कार्यान्वयन के लिए आधार बनाना चाहिए। डीपीएमसी के सभी प्रस्तावों के लिए निधियों की आवश्यकता टीएसपी की आवश्यकता के लिए राज्य स्तर पर मांग पैदा करेगी।

vi) अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में , ग्राम सभाओं को गाँवों में प्राथमिकता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए कार्य करना चाहिए। प्राथमिक गतिविधियों में क्लस्टर/संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (एमएडीए)/ एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) स्तर पर टीएसपी बनाई जा सकती हैं।

(ख) से (च) : केंद्र सरकार दादरा और नागर हवेली के संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) में अनुसूचित जनजाति के कल्याण/जनजातीय उप-योजना के लिए समर्पित निधियों को आवंटित करती है। पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान यूटी को आवंटित निधियों का विवरण निम्नानुसार है जो संबंधित वर्षों के लिए केंद्रीय बजट में परिलक्षित है:

वर्ष	आवंटित निधि (करोड़ रु. में)
2015-16	43.40
2016-17	44.77
2017-18	46.12
2018-19	47.76
2019-20	47.62

*****